

नर्मदा के अतिरिक्त जल से अभावग्रस्त क्षेत्रों की माँग पूरी करेंगे- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा बैठक में वीसी के माध्यम से भाग लिया

जयपुर, 27 अक्टूबर। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल की अध्यक्षता में मंगलवार को नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण समीक्षा समिति की 15वीं बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस,

■ **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान ने नर्मदा परियोजना में जल दक्षता का अनुठा मॉडल स्थापित किया है। संपूर्ण कमांड क्षेत्र में फव्वारा सिंचाई पद्धति अनिवार्य की गई है, जिससे पानी की छीजत नगण्य हुई है।**

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल सहित वरिष्ठ अधिकारीगण वीसी के माध्यम से जुड़े। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की समीक्षा समिति द्वारा 7 जुलाई, 2026 को नई दिल्ली में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में हुए समझौते को प्रभावी

‘अब दिल्ली से हरिद्वार की दूरी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

क्षेत्र में पूंजीगत व्यय का 49 प्रतिशत हिस्सा रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद कर सकता है। पर्यटन के अलावा, मंत्री ने नए सिरे से विकसित किए जा रहे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये एक्सप्रेसवे अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों को प्रमुख आर्थिक केन्द्रों से जोड़ने में मदद करेंगे। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से ग्रामीण, आकांक्षी और आदिवासी जिलों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे व्यापार, निवेश और स्थानीय उद्यमों के लिए नए अवसर खुल सकते हैं। हरियाणा में इस परियोजना से आकांक्षी जिलों को लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं, राजस्थान में अलवर,

सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन पर केन्द्र को नोटिस दिया

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर। उच्चतम न्यायालय ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और इसके नियमों को चुनौती देने वाली एक और याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस याचिका को ऐसी ही दूसरी याचिकाओं के साथ टैक करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। नयी याचिका मीडिया संगठनों के संगठन "डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन" ने दायर की है। न्यायालय ने डेटा प्रोटेक्शन कानून पर किसी भी तरह की तत्काल रोक से इनकार करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार का पक्ष सुने बिना कोई आदेश नहीं दे सकते हैं।

सबीर भाटिया की डॉक्यूमेंट्री पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इंडिया: द फ्रेंडशिप फाइल्स" शीर्षक वाली यह डॉक्यूमेंट्री 9 अक्टूबर को भाटिया के यू-ट्यूब चैनल पर अपलोड की गई थी और उनके एक्स अकाउंट पर भी पोस्ट की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि वर्षों के नियामक बदलावों, (रैगुलेटरी चेन्जेज़), कारोबारी सौदों, भूमि आवंटन और अन्य फैसलों के जरिए अडाणी समूह को कथित तौर पर विशेष तरजीह दी गई है।

अदालत ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री में गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें आतंकवादी फंडिंग से जुड़े मादक पदार्थों की तस्करी में मिलीभगत तथा एक किसान के खिलाफ पुलिस हिंसा या झूठी कानूनी कार्रवाई किए जाने जैसे आरोप भी शामिल हैं। अदालत ने कहा कि इन आरोपों की पुष्टि किसी सक्षम प्राधिकरण ने नहीं की है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अडाणी समूह या सरकारी नीतियों की रचनात्मक आलोचना और साक्ष्यों पर आधारित रिपोर्टिंग पर कोई रोक नहीं है।

सरकार को शिकायत के बाद, भारत में इस वीडियो का हटा दिया गया था, कि



केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल की अध्यक्षता में हुई नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण समीक्षा समिति की 15वीं बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीसी के माध्यम से जुड़े।

रूप से लागू किया जा रहा है। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 1979 के नर्मदा जल विवाद अधिकरण के अंतर्गत मानसून अवधि में उपलब्ध अधिशेष जल के भंडारण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है। हमारा उद्देश्य मानसून के दौरान व्यर्थ बहने वाले अतिरिक्त पानी

‘चुनाव आयोग के शपथ पत्र पर 10 दिन में जवाब दें याचिकाकर्ता’

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर। उच्चतम न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मामले में चुनाव आयोग द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिनों का समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को करने का आदेश दिया। निर्वाचन आयोग ने अपने हलफनामे में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का बचाव करते हुए कहा है कि यह प्रक्रिया कानून के अनुसार है और इससे जुड़े आदेशों को चुनाव आयोग के तीनों सदस्यों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी थी। उप चुनाव आयुक्त भात प्रकाश येतुर की ओर से दाखिल 248 पन्नों के हलफनामे में निर्वाचन आयोग ने इन आरोपों को

‘मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नर्मदा परियोजना में जल दक्षता का अनुठा मॉडल स्थापित किया है। संपूर्ण कमांड क्षेत्र में फव्वारा सिंचाई पद्धति अनिवार्य की गई है, जिससे पानी की छीजत नगण्य हुई है।

को संरक्षित कर प्रदेश के जलाभावग्रस्त क्षेत्रों की बढ़ती मांग को पूरा करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान ने नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत जल दक्षता का अनुठा मॉडल स्थापित किया है। जालौर और बाड़मेर जिलों के दूरस्थ क्षेत्रों तक इस परियोजना में सम्पूर्ण कमांड क्षेत्र में फव्वारा सिंचाई पद्धत को अनिवार्य करने की पहल की गई है। इस

क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ते हुए 17 कैदी फरार हो गए। घटना के बाद जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए थैनी विला पुलिस ने तत्काल 17 विशेष टीमों का गठन किया। तलाशी अभियान के शुरूआती चरण में पांच कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद विशेष टीमों ने ड्रोन कैमरों की मदद से जंगलों में तलाशी अभियान चलाया। ड्रोन कैमरे में जंगल के एक संकरे रास्ते से आठ कैदी एक के पीछे एक जाते दिखाई दिए और हथियारों के बल पर घेराबंदी कर पुलिस ने सभी आठ कैदियों को पकड़ लिया।

याचिका में निर्वाचन आयोग के भीतर एसआईआर के फैसले लेने की प्रक्रिया की जांच के लिए एक स्वतंत्र समिति के गठन की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हॉस्पिटल से जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंजर करने के लिए रवाना हो गया है। गौरतलब है कि आसाराम 2013 के एक नाबालिग से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। अनुचित समूह को अनुचित तरजीह दी जा रही है और "क्रोनी कैपिटलिज्म" को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि, सरकार और कंपनी इन आरोपों को बार-बार खारिज करती रही है। अडाणी एंटरप्राइजेज ने मुकदमे में 50 करोड़ रुपये के हर्जाने और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की है। कंपनी के वकील ने अदालत में दलील दी कि वीडियो में दिए गए बयान झूठे हैं तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठा का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। अदालती कार्यवाही के अलावा, अडाणी एंटरप्राइजेज और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कोई विस्तृत सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया गया। दोनों ने मीडिया संस्थानों के टिप्पणी संबंधी अनुरोधों पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। लेकिन भाजपा नेताओं और सरकार ने पक्षपात के आरोपों को लगातार खारिज करते हुए कहा है कि नियमों का प्रामुख्य बनाया गया है।

अनुचित समूह को अनुचित तरजीह दी जा रही है और "क्रोनी कैपिटलिज्म" को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि, सरकार और कंपनी इन आरोपों को बार-बार खारिज करती रही है। अडाणी एंटरप्राइजेज ने मुकदमे में 50 करोड़ रुपये के हर्जाने और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की है। कंपनी के वकील ने अदालत में दलील दी कि वीडियो में दिए गए बयान झूठे हैं तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठा का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। अदालती कार्यवाही के अलावा, अडाणी एंटरप्राइजेज और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कोई विस्तृत सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया गया। दोनों ने मीडिया संस्थानों के टिप्पणी संबंधी अनुरोधों पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। लेकिन भाजपा नेताओं और सरकार ने पक्षपात के आरोपों को लगातार खारिज करते हुए कहा है कि नियमों का प्रामुख्य बनाया गया है।

अकेले एक्स पर इसे 48 लाख से अधिक बार देखा गया। बाद में मुंबई पुलिस आयुक्त के माध्यम से पहुंचे अनुरोध पर उन्होंने अपनी पोस्ट हटा दी। हालांकि उन्होंने कहा कि उनका विरोध किसी व्यक्ति विशेष के बजाय, एकाधिकार के खिलाफ है और "आग तो पहले ही लग चुकी है।" शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत ने भी वीडियो पोस्ट किया था। उन्होंने भाजपा और सरकार पर सामग्री को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित, विपक्ष के कई नेताओं ने लंबे समय से यह आरोप लगाया है कि अडानी समूह को

■ **सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया और अगली सुनवाई के लिए 17 नवम्बर की तारीख तय की।**

खारिज किया है कि मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 में कोई बदलाव किया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि इस वैधानिक फॉर्म में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसके पहले, 15 अक्टूबर को न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया था। याचिका दायर करने वालों में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अलावा, अन्य प्रमुख नेताओं में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव (सपा), तेजस्वी प्रसाद यादव (राजद), सोगत राय

■ **मुंबई में राज ठाकरे व शिव सेना के संजय राउत ने भी अपने अकाउंट पर यह वीडियो पोस्ट किया था और इसे प्रसारित किया था, जिसे काफी व्यूज मिले, पर पुलिस के आग्रह पर राज ठाकरे ने तो पोस्ट हटा ली।**

■ **अडाणी एंटरप्राइजेज ने इस डॉक्यूमेंट्री पर 50 करोड़ रूपए का मानहानि दावा किया है।**

लेकिन भाटिया ने इसे दोबारा अपलोड कर दिया। अदालत ने प्रथम दृष्टया इस कदम को "अच्छी नीयत" (गुड फेथ) की कमी का संकेत माना। प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया गया है कि वे सूचीबद्ध यूआरएल तक पहुंच को बंद करें और इससे जुड़ी अन्य गतिविधियों, जैसे कि रोपोस्ट और शेयर की भी रोकें। अंतरिम आदेश के बाद अब यह डॉक्यूमेंट्री प्रतिबंधित चैनलों के माध्यम से ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध नहीं है। अदालत के आदेश से पहले, विपक्ष के कई नेताओं ने इस वीडियो को काफी प्रचारित किया था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने इसे साझा करते हुए दावा किया था कि

अकेले एक्स पर इसे 48 लाख से अधिक बार देखा गया। बाद में मुंबई पुलिस आयुक्त के माध्यम से पहुंचे अनुरोध पर उन्होंने अपनी पोस्ट हटा दी। हालांकि उन्होंने कहा कि उनका विरोध किसी व्यक्ति विशेष के बजाय, एकाधिकार के खिलाफ है और "आग तो पहले ही लग चुकी है।" शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत ने भी वीडियो पोस्ट किया था। उन्होंने भाजपा और सरकार पर सामग्री को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित, विपक्ष के कई नेताओं ने लंबे समय से यह आरोप लगाया है कि अडानी समूह को

ड्रोन की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जेल की सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ते हुए 17 कैदी फरार हो गए। घटना के बाद जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए थैनी विला पुलिस ने तत्काल 17 विशेष टीमों का गठन किया। तलाशी अभियान के शुरूआती चरण में पांच कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद विशेष टीमों ने ड्रोन कैमरों की मदद से जंगलों में तलाशी अभियान चलाया। ड्रोन कैमरे में जंगल के एक संकरे रास्ते से आठ कैदी एक के पीछे एक जाते दिखाई दिए और हथियारों के बल पर घेराबंदी कर पुलिस ने सभी आठ कैदियों को पकड़ लिया।

सुप्रीम कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हॉस्पिटल से जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंजर करने के लिए रवाना हो गया है। गौरतलब है कि आसाराम 2013 के एक नाबालिग से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। अनुचित समूह को अनुचित तरजीह दी जा रही है और "क्रोनी कैपिटलिज्म" को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि, सरकार और कंपनी इन आरोपों को बार-बार खारिज करती रही है। अडाणी एंटरप्राइजेज ने मुकदमे में 50 करोड़ रुपये के हर्जाने और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की है। कंपनी के वकील ने अदालत में दलील दी कि वीडियो में दिए गए बयान झूठे हैं तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठा का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। अदालती कार्यवाही के अलावा, अडाणी एंटरप्राइजेज और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कोई विस्तृत सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया गया। दोनों ने मीडिया संस्थानों के टिप्पणी संबंधी अनुरोधों पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। लेकिन भाजपा नेताओं और सरकार ने पक्षपात के आरोपों को लगातार खारिज करते हुए कहा है कि नियमों का प्रामुख्य बनाया गया है।

अनुचित समूह को अनुचित तरजीह दी जा रही है और "क्रोनी कैपिटलिज्म" को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि, सरकार और कंपनी इन आरोपों को बार-बार खारिज करती रही है। अडाणी एंटरप्राइजेज ने मुकदमे में 50 करोड़ रुपये के हर्जाने और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की है। कंपनी के वकील ने अदालत में दलील दी कि वीडियो में दिए गए बयान झूठे हैं तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठा का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। अदालती कार्यवाही के अलावा, अडाणी एंटरप्राइजेज और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कोई विस्तृत सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया गया। दोनों ने मीडिया संस्थानों के टिप्पणी संबंधी अनुरोधों पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। लेकिन भाजपा नेताओं और सरकार ने पक्षपात के आरोपों को लगातार खारिज करते हुए कहा है कि नियमों का प्रामुख्य बनाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हॉस्पिटल से जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंजर करने के लिए रवाना हो गया है। गौरतलब है कि आसाराम 2013 के एक नाबालिग से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। अनुचित समूह को अनुचित तरजीह दी जा रही है और "क्रोनी कैपिटलिज्म" को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि, सरकार और कंपनी इन आरोपों को बार-बार खारिज करती रही है। अडाणी एंटरप्राइजेज ने मुकदमे में 50 करोड़ रुपये के हर्जाने और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की है। कंपनी के वकील ने अदालत में दलील दी कि वीडियो में दिए गए बयान झूठे हैं तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठा का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। अदालती कार्यवाही के अलावा, अडाणी एंटरप्राइजेज और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कोई विस्तृत सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया गया। दोनों ने मीडिया संस्थानों के टिप्पणी संबंधी अनुरोधों पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। लेकिन भाजपा नेताओं और सरकार ने पक्षपात के आरोपों को लगातार खारिज करते हुए कहा है कि नियमों का प्रामुख्य बनाया गया है।

अनुचित समूह को अनुचित तरजीह दी जा रही है और "क्रोनी कैपिटलिज्म" को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि, सरकार और कंपनी इन आरोपों को बार-बार खारिज करती रही है। अडाणी एंटरप्राइजेज ने मुकदमे में 50 करोड़ रुपये के हर्जाने और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की है। कंपनी के वकील ने अदालत में दलील दी कि वीडियो में दिए गए बयान झूठे हैं तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठा का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। अदालती कार्यवाही के अलावा, अडाणी एंटरप्राइजेज और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कोई विस्तृत सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया गया। दोनों ने मीडिया संस्थानों के टिप्पणी संबंधी अनुरोधों पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। लेकिन भाजपा नेताओं और सरकार ने पक्षपात के आरोपों को लगातार खारिज करते हुए कहा है कि नियमों का प्रामुख्य बनाया गया है।

भगवान केदारनाथ धाम के कपाट 11 नवम्बर को बंद होंगे

देहरादून, 27 अक्टूबर। उत्तराखंड के प्रमुख धाम तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ एवं द्वितीय केदार भगवान मन्वाहेश्वर के कपाट क्रमशः 6 नवंबर और 16 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। भगवान केदारनाथ धाम के कपाट 11 नवंबर को बंद होंगे। श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी ने बताया कि श्री केदारनाथ मंदिर के कपाट 11 नवंबर को भाई दूज के दिन प्रातः 8:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 11 नवंबर को श्री केदारनाथ की चल-विग्रह डोली केदारनाथ धाम से प्रस्थान कर रात्रि विश्राम के लिए रामपुर पहुंचेगी। 12 नवंबर को रामपुर से प्रातः प्रस्थान कर फाटा, नारायणकोटी होते हुए, रात्रि विश्राम के लिए श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंचेगी। अगले दिन 13 नवंबर को चल-विग्रह डोली प्रातः 8:30 बजे प्रस्थान कर अपने शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी।

वंदे मातरम् ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से चले आ रहे केवल शुरूआती दो छंदों को गाने की गैर-धार्मिक परंपरा को अवैध रूप से बदलता है। इससे पहले, प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत गायक टीएम कृष्णा ने भी ऐसी ही एक याचिका दायर की थी, जिसमें आखिरी चार छंदों की अनिवार्यता को चुनौती दी गई है।

संबंधों में कटुता होने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आंकड़ों से पहले का है, जिनका जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। सन् 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के व्यापारिक संबंधों में भारी गिरावट आई थी। इस हमले में भारत के 40 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। इसके बाद नई दिल्ली ने पाकिस्तान से सबसे पसंदीदा राष्ट्र (मोस्ट फेवर्ड नेशन) का दर्जा वापस ले लिया था। इसके बाद भारत-पाकिस्तान के व्यापारिक संबंधों में भारी गिरावट आई। ये ताजा आंकड़े उस अंतर को उजागर करते हैं, जो सरकार की नीतियों और बाजार की मांग के बीच पैदा हो सकता है। पाकिस्तान के कारोबारी भारतीय उत्पादों की मांग जारी रख सकते हैं,

क्योंकि उनके साथ पहले से आपूर्ति संबंध बने हुए हैं, उनकी कीमतें प्रतिस्पर्धी हैं या कुछ खास सामान भारत से आसानी से मिल जाता है। मध्यस्थ देशों के व्यापारिक केन्द्र (हंटरमीडियरी ट्रेडिंग हब) सामान के असली स्रोत का पता लगाने की कोशिशों को और भी मुश्किल बना सकते हैं। फिर भी, रिपोर्ट में बताई गई आयात में बढ़ोतरी अपने आप में यह साबित नहीं करती कि व्यापार प्रतिबंधों का उल्लंघन हुआ है। ये आंकड़े अप्रत्यक्ष सत्याई चैन का लेकर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन यह पता लगाने के लिए और गहराई से जांच करनी होगी कि भारतीय मूल के सामान का कितना व्यापार हो रहा है, किन रास्तों का इस्तेमाल किया जा रहा है और क्या

सुप्रीम कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हॉस्पिटल से जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंजर करने के लिए रवाना हो गया है। गौरतलब है कि आसाराम 2013 के एक नाबालिग से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। अनुचित समूह को अनुचित तरजीह दी जा रही है और "क्रोनी कैपिटलिज्म" को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि, सरकार और कंपनी इन आरोपों को बार-बार खारिज करती रही है। अडाणी एंटरप्राइजेज ने मुकदमे में 50 करोड़ रुपये के हर्जाने और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की है। कंपनी के वकील ने अदालत में दलील दी कि वीडियो में दिए गए बयान झूठे हैं तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठा का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। अदालती कार्यवाही के अलावा, अडाणी एंटरप्राइजेज और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कोई विस्तृत सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया गया। दोनों ने मीडिया संस्थानों के टिप्पणी संबंधी अनुरोधों पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। लेकिन भाजपा नेताओं और सरकार ने पक्षपात के आरोपों को लगातार खारिज करते हुए कहा है कि नियमों का प्रामुख्य बनाया गया है।

अनुचित समूह को अनुचित तरजीह दी जा रही है और "क्रोनी कैपिटलिज्म" को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि, सरकार और कंपनी इन आरोपों को बार-बार खारिज करती रही है। अडाणी एंटरप्राइजेज ने मुकदमे में 50 करोड़ रुपये के हर्जाने और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की है। कंपनी के वकील ने अदालत में दलील दी कि वीडियो में दिए गए बयान झूठे हैं तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठा का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। अदालती कार्यवाही के अलावा, अडाणी एंटरप्राइजेज और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कोई विस्तृत सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया गया। दोनों ने मीडिया संस्थानों के टिप्पणी संबंधी अनुरोधों पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। लेकिन भाजपा नेताओं और सरकार ने पक्षपात के आरोपों को लगातार खारिज करते हुए कहा है कि नियमों का प्रामुख्य बनाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हॉस्पिटल से जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंजर करने के लिए रवाना हो गया है। गौरतलब है कि आसाराम 2013 के एक नाबालिग से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है। अनुचित समूह को अनुचित तरजीह दी जा रही है और "क्रोनी कैपिटलिज्म" को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि, सरकार और कंपनी इन आरोपों को बार-बार खारिज करती रही है। अडाणी एंटरप्राइजेज ने मुकदमे में 50 करोड़ रुपये के हर्जाने और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की है। कंपनी के वकील ने अदालत में दलील दी कि वीडियो में दिए गए बयान झूठे हैं तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठा का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। अदालती कार्यवाही के अलावा, अडाणी एंटरप्राइजेज और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कोई विस्तृत सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया गया। दोनों ने मीडिया संस्थानों के टिप्पणी संबंधी अनुरोधों पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। लेकिन भाजपा नेताओं और सरकार ने पक्षपात के आरोपों को लगातार खारिज करते हुए कहा है कि नियमों का प्रामुख्य बनाया गया है।

अनुचित समूह को अनुचित तरजीह दी जा रही है और "क्रोनी कैपिटलिज्म" को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि, सरकार और कंपनी इन आरोपों को बार-बार खारिज करती रही है। अडाणी एंटरप्राइजेज ने मुकदमे में 50 करोड़ रुपये के हर्जाने और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की है। कंपनी के वकील ने अदालत में दलील दी कि वीडियो में दिए गए बयान झूठे हैं तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठा का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। अदालती कार्यवाही के अलावा, अडाणी एंटरप्राइजेज और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कोई विस्तृत सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया गया। दोनों ने मीडिया संस्थानों के टिप्पणी संबंधी अनुरोधों पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। लेकिन भाजपा नेताओं और सरकार ने पक्षपात के आरोपों को लगातार खारिज करते हुए कहा है कि नियमों का प्रामुख्य बनाया गया है।

‘जिम्मेदार अधिकारियों की नाक के नीचे पूरी नदी प्रणाली नष्ट कर दी गई’

सुप्रीम कोर्ट ने जोजरी, बांदी व लूनी नदियों में अवैध खनन व प्रदूषण पर फटकार लगाई

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को राजस्थान में जोजरी, बांदी और लूनी नदियों में अवैध खनन और प्रदूषण को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायालय ने कहा कि वह इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दे सकता है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच जोजरी नदी में प्रदूषण से संबंधित स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही है। न्यायालय ने बांदी और लूनी नदियों में प्रदूषण के मुद्दे को भी उठाया था। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।

सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने राज्य के अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए। न्यायालय ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों की नाक के नीचे पूरी नदी प्रणाली को नष्ट कर दिया गया, लेकिन प्रशासन मूकदर्शक बना रहा। न्यायालय ने विशेष रूप से खनन विभाग और स्थानीय प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए पूछा कि जिन क्षेत्रों में पहले

सुप्रीम कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बड़े पैमाने पर अवैध खनन की पहचान की गई थी, उन्हें बाद में पट्टे जारी करके नियमित कैसे कर दिया गया? न्यायालय ने इसे अवैध गतिविधियों को कानूनी जामा पहनाने का प्रयास माना और कहा कि अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों का पालन करने में पूरी तरह विफलता दिखाई है। राजस्थान सरकार की ओर से पेश एएसजी एसबी राजू ने न्यायालय को इस मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया। सुनवाई के दौरान, जब उद्योगों और आजीविका का हवाला दिया गया तो न्यायालय ने बेहद तीखी और भावुक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, "कुछ हजार लोगों की आर्थिक व्यवहार्यता और उनकी आजीविका की तुलना 20 लाख

लोگو की जिंदगी से नहीं की जा सकती। हम 20 लाख लोगों को नरक जैसी परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर नहीं होने दे सकते।" न्यायालय ने पाया कि सांगानेर और आसपास के कई इलाकों में कपड़ा व अन्य औद्योगिक इकाइयां प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के बिना ही घड़ल्ले से चल रही है और जहरीला कचरा सीधे नदियों में बहा रही है। न्यायालय ने कहा कि नदियों की हाई फ्लड लाइन तय करते समय नदी के गलियारों (रिवर कॉरिडोर) को जानबूझकर संकरा दिखाने की कोशिश की गई, जो कि न्यायालय के निर्देशों को गलत तरीके से पेश करने जैसा है।

सुप्रीम कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कोई ठोस और वास्तविक काम करने के बजाय, इसी 'टल्ली' को बजाने में व्यस्त रहे हैं।" पंजाब में 'टल्ली' शब्द का इस्तेमाल आम तौर पर नशे में धुत सामान की आवाजाही जारी है। फिलहाल, पाकिस्तान के भारत से आयात में बढ़ोतरी से संकेत मिलता है कि राजनीतिक दुश्मनी के बावजूद, बाजार की व्यापारिक माँग पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने 2027 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण करने वाले चीन को शुभकामनाएं भी दीं।

सुप्रीम कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कोई ठोस और वास्तविक काम करने के बजाय, इसी 'टल्ली' को बजाने में व्यस्त रहे हैं।" पंजाब में 'टल्ली' शब्द का इस्तेमाल आम तौर पर नशे में धुत सामान की आवाजाही जारी है। फिलहाल, पाकिस्तान के भारत से आयात में बढ़ोतरी से संकेत मिलता है कि राजनीतिक दुश्मनी के बावजूद, बाजार की व्यापारिक माँग पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने 2027 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण करने वाले चीन को शुभकामनाएं भी दीं।

■ **उद्योगों और आजीविका की दलील पर अदालत ने तीखी टिप्पणी की और कहा, कुछ हजार लोगों की आर्थिक व्यवहार्यता और उनकी आजीविका की तुलना में 20 लाख लोगों की जिन्दगी से नहीं की जा सकती।**

लोگو की जिंदगी से नहीं की जा सकती। हम 20 लाख लोगों को नरक जैसी परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर नहीं होने दे सकते।" न्यायालय ने पाया कि सांगानेर और आसपास के कई इलाकों में कपड़ा व अन्य औद्योगिक इकाइयां प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के बिना ही घड़ल्ले से चल रही है और जहरीला कचरा सीधे नदियों में बहा रही है। न्यायालय ने कहा कि नदियों की हाई फ्लड लाइन तय करते समय नदी के गलियारों (रिवर कॉरिडोर) को जानबूझकर संकरा दिखाने की कोशिश की गई, जो कि न्यायालय के निर्देशों को गलत तरीके से पेश करने जैसा है।

सुप्रीम कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कोई ठोस और वास्तविक काम करने के बजाय, इसी 'टल्ली' को बजाने में व्यस्त रहे हैं।" पंजाब में 'टल्ली' शब्द का इस्तेमाल आम तौर पर नशे में धुत सामान की आवाजाही जारी है। फिलहाल, पाकिस्तान के भारत से आयात में बढ़ोतरी से संकेत मिलता है कि राजनीतिक दुश्मनी के बावजूद, बाजार की व्यापारिक माँग पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने 2027 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण करने वाले चीन को शुभकामनाएं भी दीं।

सुप्रीम कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कोई ठोस और वास्तविक काम करने के बजाय, इसी 'टल्ली' को बजाने में व्यस्त